

संयुक्त निरीक्षण आख्या

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में देघाट-लालनगरी मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 1-3-2017 को प्रश्नगत परियोजना के सिविल भूमि झड़गाव का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग के श्री जगदीश मिश्रा वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री सुरेश सिंह मर्तोल्या एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री रवि शंकर मौर्या कनिष्ठ अभियन्ता व श्री प्रेमपाल सिंह अमीन द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त परियोजना हेतु सिविल भूमि झड़गाव में कुल क्षेत्रफल 5.188 है० कृषि योग्य बंजर भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पायी गई है।

Ravi S.
J.E.

जगदीश मिश्रा
वन दरोगा

वन विभाग अधिकारी
झड़गाव वन क्षेत्र

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड जो. वि. वि.
सड़क (अल्मोड़ा)

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
सड़क (अल्मोड़ा)

सहायक वन प्रभारी
झड़गाव वन क्षेत्र

एन.एस. करायत
रा.उ. निरीक्षक
तहसील-
जिला-अल्मोड़ा

सुरेश सिंह मर्तोल्या
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-
तहसील-सड़क जिला-अल्मोड़ा

सुरेश सिंह मर्तोल्या
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-
तहसील-सड़क जिला-अल्मोड़ा

प्रमाणित किया है,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

जिला अधिकारी अल्मोड़ा

प्रमाणित वन अधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

भूमिधर होने का प्रमाण पत्र

मौका खसरा-ग्राम झड़गांव क्षेत्र तल्ला सल्ट तहसील सल्ट (अल्मोड़ा)

विषय :-ग्राम झड़गांव क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ब्यौरा।

काश्तकार का नाम	क्षतिपूरक भूमि के खेत नम्बर	क्षेत्रफल	खाता संख्या	किस्म भूमि	तोक का नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कृषि योग्य बंजर भूमि	430	0.155	20	गैर जमींदारी श्रेणी 9 (3) ड कृषि योग्य बंजर भूमि	क्षतिपूरक भूमि झड़गांव में कृषि योग्य बंजर भूमि है जहाँ वृक्ष नहीं है।	—
	431	0.456				
	432	0.877				
	2321	0.434				
	2323	1.813				
	2325मध्य	1.453				
योग	6	5.188				

महोदय,

ग्राम झड़गांव के गैर जमींदारी खाता संख्या 20 के खेत संख्या 430-0.155 है0, 431-0.456 है0, 432-0.877, 2321-0.434 है0, 2323-1.813 है0, तथा 2325 मध्य 1.453 है0 कुल खेत 6क्षेत्रफल 5.188 है0 कृषि योग्य बंजर भूमि है, राज्य सरकार की है। राज्य सरकार की भूमि पर वृक्षारोपण किया जा सकता है।

Ravi S
J.E

G. G. G.
च. स.

R. S.
ग्राम झड़गांव के गैर जमींदारी खाता संख्या 20 के खेत संख्या 430-0.155 है0, 431-0.456 है0, 432-0.877, 2321-0.434 है0, 2323-1.813 है0, तथा 2325 मध्य 1.453 है0 कुल खेत 6क्षेत्रफल 5.188 है0 कृषि योग्य बंजर भूमि है, राज्य सरकार की है। राज्य सरकार की भूमि पर वृक्षारोपण किया जा सकता है।

S.
सहायक अभियन्ता
नियंत्रण एवं सौ. वि. वि.
सल्ट (अल्मोड़ा)

S. S.
अधिराज
निर्माण सल्ट, सौ. वि. वि.
सल्ट (अल्मोड़ा)

S. S.
तहसीलदार
सल्ट (झुमाड़) अल्मोड़ा

S. S.
सुरेन्द्र सिंह मर्तोल्या
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र.....
तहसील-सल्ट जिला-अल्मोड़ा

A.
उप निरीक्षक
क्षेत्र.....
तहसील-सल्ट जिला-अल्मोड़ा

करार

विभाग का नाम :- निर्माण खण्ड , लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	प्रभावित / क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल है0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की तिथि	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि का विवरण			राजस्व ग्राम / पटवारी क्षेत्र / तहसील	वन विभाग की टिप्पणी
					खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल है0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।	2010	5.188 है0	1	20	430	0.155	झड़गांव / क्षेत्र तल्ला सल्ट / तहसील सल्ट (अल्मोड़ा)	राजस्व एवं कार्यदायी विभाग के साथ दिनांक 1.3.2017 को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। वृक्षारोपण हेतु संबंधित भूमि उपयुक्त एवं उपलब्ध क्षेत्र वृक्षविहीन है। अतः चिन्हित भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर भूमि के अमल दरामद करने की संस्तुति की जाती है।
						431	0.456		
						432	0.877		
						2321	0.434		
						2323 मध्य	1.813		
						2325 मध्य	1.453		
योग					6	5.188			

100 फीट का
समीक्षित
अल्मोड़ा वन विभाग

अ. द. 1
K. G. S.
वन विभाग
लालनगरी वन विभाग

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो-नि-वि-0
सल्ट (अल्मोड़ा)

अभिप्रेत अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

सुरेन्द्र सिंह मनोहर
राजस्व उपनिर्देशक
क्षेत्र.....
तहसील-सल्ट जिला-3

संयुक्त निरीक्षण आख्या

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में देघाट-लालनगरी मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 1-3-2017 को प्रश्नगत परियोजना के सिविल भूमि ओखलिया का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग के श्री जगदीश गिरी वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री न. कन्होई शर्मा एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री रवि शंकर मौर्या कनिष्ठ अभियन्ता व श्री प्रेमपाल सिंह अमीन द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त परियोजना हेतु सिविल भूमि झड़गाव में कुल क्षेत्रफल 2.500 है० कृषि योग्य बंजर भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पायी गई है।

Ravi H
J.E

जगदीश
वन.द.

वन विभाग अधिकारी
झड़गाव वन क्षेत्र

जिला अधिकारी अल्मोड़ा,

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड जो.वि.वि.
साल्ट (अल्मोड़ा)

तहसीलदार
साल्ट (खुमाड़) अल्मोड़ा

अधीनस्थ निधायक
निर्माण खण्ड, लो.वि.वि.
साल्ट (अल्मोड़ा)

एन.एस.करायत
रा.उ.निरीक्षक
तहसील-
जिला-अल्मोड़ा

प्र.प्र.प्र.
संयुक्त
अल्मोड़ा वन प्रभाग

प्रभागीय वन अधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

भूमिधर होने का प्रमाण पत्र

मौका खसरा-ग्राम ओखलिया क्षेत्र मल्ला सल्ट तहसील सल्ट (अल्मोड़ा)

विषय :-ग्राम ओखलिया क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ब्यौरा।

काश्तकार का नाम	क्षतिपूरक भूमि के खेत नम्बर	क्षेत्रफल	खाता संख्या	किस्म भूमि	तोक का नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कृषि योग्य बंजर भूमि	365मध्य	2.500	20	गैर जमींदारी श्रेणी 9 (3) ड कृषि योग्य बंजर भूमि	क्षतिपूरक भूमि ओखलिया में कृषि योग्य बंजर भूमि है जहाँ वृक्ष नहीं है।	—
योग	1	2.500				

महोदय,

ग्राम ओखलिया के गैर जमींदारी खाता संख्या के खेत संख्या 365मध्य 2.500 है0 कुल खेत 1 क्षेत्रफल 2.500 है0 कृषि योग्य बंजर भूमि है, राज्य सरकार की है। राज्य सरकार की भूमि पर वृक्षारोपण किया जा सकता है।

Ranil
J.E

विश्वदीप
च. ९०

वन विभाग अधिकारी
नौरावा वन

आ.प्र. वन
सुनील
अल्मोड़ा वन प्रभाग

ह

सहायक आयुक्त
निर्वाह वन्य जीव वि. वि.
सल्ट (अल्मोड़ा)

अधिका. अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लॉजिस्टिक्स
सल्ट (अल्मोड़ा)

अध्यापक शिक्षक,
सल्ट,
अल्मोड़ा (उच्च माध्यमिक)

तहसीलदार
सल्ट (खुमाड़) अल्मोड़ा

एन.एस.करायत
रा.उ.निरिक्षक
तहसील-
जिला-अल्मोड़ा

करार

विभाग का नाम :- निर्माण खण्ड , लो०नि०वि० सल्ट (अल्मोड़ा)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	प्रभावित / क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल है०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की तिथि	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि का विवरण			राजस्व ग्राम / पटवारी क्षेत्र / तहसील	वन विभाग की टिप्पणी
					खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल है०		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।	2010	2.500 है०	-		365मध्य	2.500	ओखलिया / क्षेत्र मल्ला सल्ट / तहसील सल्ट (अल्मोड़ा)	राजस्व एवं कार्यदायी विभाग के साथ दिनांक..... को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। वृक्षारोपण हेतु संबंधित भूमि उपयुक्त एवं उपलब्ध क्षेत्र वृक्षविहीन है। अतः चिन्हित भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर भूमि के अमल दरामद करने की संस्तुति की जाती है।
योग						1	2.500		

Ran M
J E

A → Gangdism
व. स.

प्र. प्र. प्र.
शनीयेत
कोला वन प्रभाग

म. म. अधिकारी
कोला वन क्षेत्र


 बहायक कमिश्नरः
 निर्वाण बाण्ड को. वि. वि.
 बाण्ड (बलमोहा)

 तहसिलदार
 सल्ट (खुमाइ) अलमोहा विभाग - बलमोहा (बलमोहा)

एन.एस. करायल
रा.उ. निरिक्षक
रहस्यील -
जिला - अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में देघाट-लालनगरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित झड़गांव एवं ओखलिया गांव के पास का स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

Ravi D J.E

Sagunish
जा.क.

वन क्षेत्र अधिकारी
झीरासी वन क्षेत्र

रानीखेत
वन प्रभाग

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड जो.वि.वि.
साल्ट (अल्मोड़ा)

सुरेन्द्र सिंह मर्तोलिया
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र.....
तहसाल-साल्ट जिला-अल्मोड़ा

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड जो.वि.वि.
साल्ट (अल्मोड़ा)

एन.एस.करायत
रा.उ. निरीक्षक
तहसाल-साल्ट
जिला-अल्मोड़ा

जयप्रकाश शर्मा,
साल्ट,

जिला-अल्मोड़ा (उप-प्रभाग)

तहसिलदार
साल्ट (अल्मोड़ा) अल्मोड़ा

प्रभागीय अधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा